न्यायालय– एकादश्, अपर सत्र न्यायाधीश
सारण, छपरा।
ए0बी.पी.न0–2942 / 2026
अमनौर थाना कांड सं0–267 / 2026

06.08.2026 आवेदक अभियुक्तगण क्रमशः **1. अजीत राय 2. रेखा देवी 3. सुनिता कुमारी एवं 4. रीता देवी** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–2942/2026, अमनौर थाना कांड संख्या 267/2026, अंतर्गत धारा 126(2),115(2),118(1),109(1),352,351(2),3(5) भा0न्या0सं0 में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र कुमार सिंह को सुना।

मामले की प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्त पर आरोप संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचक घटनातिथि को अमीन को लेकर अमनौर अंतर्गत जमीन का मापी कराने गया था जो सूचक का ननिहाली सम्पत्ति है। अचानक हथियार से लैश होकर विश्वकर्मा राय, लालू राय एवं अन्य नामित अभियुक्तगण गाली–गलौज करते हुए सूचक के ननिहाली जमीन पर आ गय और मापी करने से रोक दिया। सूचक गाली देने से मना किया तो सभी मिलकर सूचक एवं उसके भाई विजय कुमार यादव, कौशल कुमार राय पर हमला कर दिया एवं जान मारने के नियत से विश्वकमा राय ने रॉड से सूचक के सर पर वार किया जिससे सर फट गया तभी लालू राय फरसा से सूचक के भाई विजय कुमार यादव पर हमला किया तो वह बचाव में अपने हाथ से रोका तो उसका हाथ कट गया। गुड्डू राय और अजीत राय ने सूचक के भाई कौशल कुमार राय पर रॉड से हमला कर दिया जिससे उसका सर फट गया। सभी मिलकर सूचक व उसके भाइयों को मारकर जख्मी कर दिया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए कहा गया कि अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्तगण निर्दोष हैं उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण को दुश्मनी एवं जमीनी विवाद के कारण झूंठा फंसाया गया है। उभय पक्ष के बीच काउंटर केस संस्थित है। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदकगण द्वारा कारित अपराध काफी गंभीर प्रकृति का है। इसलिए आवेदकगण का जमानत आवेदन खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी अमनौर थाना कांड संख्या 267/2026, अंतर्गत धारा 126(2),115(2),118(1),109(1),352,351(2),3(5) भा0न्या0सं0 में आवेदकगण के विरूद्ध पंजीकृत कराई गई है। प्राथमिकी के अनुसार जख्मी अजीत कुमार को जख्म सिर पर कारित होना बताया गया है जबकि जख्म प्रतिवेदन में नाक पर जख्म होना दर्शित किया गया है तथा जख्म को साधारण प्रकृति का होना बताया गया है। कंडिका–35 में आवेदकगण के आपराधिक इतिहास के संदर्भ में अंकित है जिसके अनुसार आवेदकगण का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण पर मारपीट का समान आरोप लगाया गया है किसी पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। जिस अभियुक्तगण पर मारने का

आरोप है वह इस आवेदन में आवेदक नहीं है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण को निम्न शर्तों पर अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक अभियुक्तगण क्रमशः 1. अजीत राय 2. रेखा देवी 3. सुनिता कुमारी एवं 4. रीता देवी के द्वारा इस आदेश से 30 दिन के अंदर विद्वान विचारण न्यायालय में आत्म–समर्पण करने या गिरफ्तार किये जाने पर आवेदक अभियुक्तगण को मो0 10,000/रु0 के बन्ध पत्र एवं उतने ही राशि के दो–दो प्रतिभुओं वाले बन्ध–पत्र निष्पादित किये जाने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर भा0ना0सु0स0 की धारा 482(2) में उल्लिखित प्रावधानों एवं एक जमानतदार आवेदक का निकट संबंधी होगा, के शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

AMBIKA PRASAD CHOUDHARY

Digitally signed by AMBIKA PRASAD CHOUDHARY
Date: 2026.08.06 17:33:57 +0530